IN THE COURT OF Pawan Kumar Shukla, Spl. Judge. Excise Court No.-1st, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.822 of 2026

Jairam Kumar S/o Shiv Pujan Chaudhary, R/o Vill.- Kajhar Ghat, P.S.- Kudra, Distt.- Kaimur (Bhabua) ----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Kudra P.S. Case No.81 of 2026)

08.06.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदक **जयराम कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **कुदरा थाना काण्ड** सं0–81/2026 ***धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के विन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तिवारी एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री उद्यम नारायण सिंह को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कूल निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है। व न तो घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया है और न हीं उसके कब्जे से कोई अवैध शराब की बरामदगी हीं की गई है। आवेदक से कुदरा पुलिस के द्वारा वाहन के कागजात की मांग की गई थी, जो लाने के लिए वहॉ से वह चला गया था और उस दिन थाना नहीं पहुंच सका, जिसके चलते गलत तरीके से पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल पर शराब बरामदगी दिखाकर इस झूठे केस में आवेदक को फंसा दिया गया है। इनका कथन है कि कथित जप्त मोटरसाईकिल को आवेदक के द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर विक्रेता अभिमन्यु सिंह से दिनांक 16.12.2025 को खरीदा गया था, किन्तु वह मोटरसाईकिल को अभी अपने नाम से नामांतरित नहीं करवा सका है। इनका कथन है कि आवेदक कभी भी शराब के खरीद–विक्री में लिप्त नहीं रहा है और न हीं किसी के द्वारा ऐसा करते हुए उसे देखा हीं गया है। इनका कथन है कि पुलिस बिना किसी कारण के आवेदक के जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। इनका कथन है कि आवेदक के विरूद्ध एक अन्य उत्पाद मामले सहित कुल दो आपराधिक मामले कुदरा थाना में पूर्व से दर्ज है, किन्तु वर्तमान मामले में वह बिल्कुल निर्दोष है और उसके निर्दोष होने के बावजूद उसे पुलिस गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि घटना तिथि एवं समय को गश्ती के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना पर कि दो व्यक्ति एक मोटरसाईकिल एच0एफ0डिलक्स रजि0नं0–BR45S-1867 पर सवार शराब लेकर कुदरा स्टेशन रोड से भभुआ मोड़, कुदरा की ओर जा रहे हैं, सूचक उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए, सूचना के सत्यापन हेतु पैदल गश्ती कर रहे चौकिदार महेन्द्र पासवान के साथ घ टना स्थल की ओर चला कि उसने देखा कि एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति जो अपने बीच में उजला रंग का झोला तथा पीछे बैठा व्यक्ति पिट्ठू बैग लिये हुए था, पुलिस पर नजर पड़ने पर बारी मोहल्ला, कुदरा में मोटरसाईकिल घुमाकर भागने का प्रयास किये, किन्तु रास्ता संकिर्ण होने के कारण

लगातार/

IN THE COURT OF Pawan Kumar Shukla, Spl. Judge. Excise Court No.-1st, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.822 of 2026

Jairam Kumar S/o Shiv Pujan Chaudhary, R/o Vill.- Kajhar Ghat, P.S.- Kudra, Distt.- Kaimur (Bhabua) ----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Kudra P.S. Case No.81 of 2026)

08.06.2026 मोटरसाईकिल घुमा नहीं सकी तो मोटरसाईकिल चालक बीच सड़क पर गिराकर और पीछे बैठा व्यक्ति पिट्टू बैग मोटरसाईकिल के पास गिरा कर भागने लगे, जिनका पिछा किया गया, किन्तु नाली–गली एवं संकरी बस्ती का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गये, जिनकी पहचान महाल चौकिदार महेन्द्र पासवान के द्वारा चालक आशिष कुमार एवं पीछे बैठा व्यक्ति जयराम कुमार के रूप में किया गया। तत्पश्चात् उक्त मोटरसाईकिल पर रखे झोला एवं पिट्ठू बैग की विधिवत तलाशी ली गई तो झोला से 8PM Special Blend of Scotch & Indian grain whisky 180ml का 48 पीस एवं पिट्ठू बैग से 8PM Special Blend of Scotch & Indian grain whisky 180ml का 96 पीस, इस तरह कुल मात्रा 25.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं जप्त मोटरसाईकिल पर भारी व्यवसायिक मात्रा में कुल 25.92 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब लेकर परिवहन करते हुए मौके से आवेदक अभियुक्त की सह अभियुक्त के साथ फरार होने की घटना को स्वीकार किया है। आवेदक अभियुक्त की पहचान सूचक के साथ उपस्थित महाल चौकिदार महेन्द्र पासवान के द्वारा की गई है। केस डायरी की कण्डिका–40 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक के विरूद्ध उत्पाद मामले से ही संबंधित एक अन्य मामला सहित कुल दो आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज हैं, जो यह दर्शाता है कि आवेदक एक पेशेवर अवैध शराब का कारोबारी है, जो यह जानते हुए कि बिहार में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू है, जहॉ शराब का सेवन, खरीद–विक्री, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित है, वह बार–बार समान तरह के अपराध की पुनरावृति कर रहा है। मामला अभी अनुसंधान के अधीन है। अपराध की प्रकृति गम्भीर है। वहीं बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध भी करती है।

*अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **जयराम कुमार** की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।* *(लेखापित)*

(पवन कुमार शुक्ला)

वि0न्या0उत्पाद–1st

कैमूर, भभुआ।

IN THE COURT OF Pawan Kumar Shukla, Spl. Judge. Excise Court No.-1st, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.822 of 2026

Jairam Kumar S/o Shiv Pujan Chaudhary, R/o Vill.- Kajhar Ghat, P.S.- Kudra, Distt.- Kaimur (Bhabua) -----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Kudra P.S. Case No.81 of 2026)